

प्रेस नोट

दिनांक 04.08.2026

ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत थाना को० देहात की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा पीड़ित की फ़ॉड गयी 5,619/- रुपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ित ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवाद:-

जनपद गोण्डा में साइबर फ़ॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के मार्गदर्शन में थाना को० देहात की साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा पीड़ित की फ़ॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए 5,619/- पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदिका मीना पाण्डेय द्वारा थाना को० देहात की साइबर हेल्प डेस्क में साइबर फ़ॉड गयी उनकी 5,619/- ₹० की शिकायत दर्ज करायी गयी थी। जिसपर थाना को० देहात की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़ित के 5,619/- ₹० की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ित द्वारा अपने रुपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए थाना को० देहात की साइबर हेल्पडेस्क की टीम को धन्यवाद दिया गया।

नोट- साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ़ॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर सुरक्षा टिप्स-

01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

मीडिया सेल, गोण्डा।